FC 20231222

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।

वित्त समिति की बैठक दिनांक 22 दिसम्बर, 2023 का कार्यवृत्त।

लखनऊ विश्वविद्यालय की वित्त समिति की बैठक आज दिनांक 22 दिसम्बर, 2023 को अपरान्ह 2:00 बजे प्रशासनिक भवन स्थित मंथन कक्ष में आहूत की गयी।

बैठक में निम्न अधिकारीगण उपस्थित रहे:–

1.	**प्रो0 आलोक कुमार राय**	**कुलपति**	**अध्यक्ष**
2.	प्रो0 अरविन्द अवस्थी,	प्रति–कुलपति	सदस्य
3.	श्रीमती अंजू सिंह संत	अपर निदेशक, पेंशन एवं कोषागार, प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव वित्त, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
4.	श्री एस. पी. मिश्र	उप–सचिव, उच्च शिक्षा, प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा, उ0प्र0 शासन	सदस्य
5.	डा0 विनोद कुमार सिंह	कुलसचिव	सदस्य
6.	श्री विद्यानन्द त्रिपाठी	परीक्षा नियंत्रक	सदस्य
7	श्रीमती हिमानी चौधरी	वित्त अधिकारी	सदस्य सचिव

बिन्दु सं0–1

वित्त समिति की गत बैठक दिनांक 19 अगस्त, 2023 की अनुपालन आख्या पर अनुमोदन के प्रस्ताव को समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं0–2

अभियांत्रिकी संकाय में संविदा पर कार्यरत प्रयोगशाला अनुदेशकों को रू0 35,400/– नियत+सी.पी.एफ. प्रति माह भुगतान किये जाने से सम्बन्धित गठित समिति की सम्पन्न हुई बैठक दिनांक 08.07.2022 में की गयी संस्तुति पर समिति ने विस्तृत परीक्षणोपरान्त संगत नियम के साथ अगली बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया।

बिन्दु सं0–3

सनदी लेखाकार द्वारा परीक्षा कार्यों हेतु उपलब्ध करायी गयी असमायोजित अग्रिमों की सूची में अंकित क्रम संख्या 1–152 में तक दर्शायी गयी धनराशि रू0 1,27,14,296/– को बैलेन्स–शीट से हटाए जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं0–4

सनदी लेखाकार द्वारा एन.आर.सी. मद के अन्तर्गत उपलब्ध करायी गयी असमायोजित अग्रिमों की सूची में अंकित क्रम संख्या 1–6 में तक दर्शायी गयी धनराशि रू0 2,42,977/– को बैलेन्स–शीट से हटाए जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव पर चर्चा किया गया। समिति द्वारा उक्त पर सहमति व्यक्त किया गया।

बिन्दु सं0–5

विभागाध्यक्ष, पुस्तकालय विज्ञान विभाग द्वारा विभाग में संचालित परास्नातक पाठ्यक्रम M.Lib.I.Sc. स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम में एक पुस्तकालय सहायक (अर्ध कुशल) के पद के सृजन हेतु प्रेषित प्रस्ताव पर वित्त समिति द्वारा सहमति व्यक्त करते हुए नियत किया गया कि श्रम विभाग से निर्धारित पारिश्रमिक जो भी होगा वह देय होगा।

बिन्दु सं0–6

टैगोर पुस्तकालय में पाण्डुलिपियों व प्राचीन पुस्तकों के उचित रख–रखाव हेतु 26 नवम्बर, 2022 को सम्पन्न हुई वित्त समिति की बैठक में लिए गये निर्णय रू0 1000/– प्रतिदिन/रू0 25000/– प्रतिमाह सीमा के अन्तर्गत लिए गये निर्णय (दिनांक 31 दिसम्बर, 2023) को विस्तारित किये जाने विषयक प्रस्ताव पर वित्त समिति में चर्चा किया गया। समिति द्वारा इंटेक एजेंसी के अनुसार रू0 1000/– प्रतिदिन/रू0 25000/– प्रतिमाह दिये जाने हेतु कन्टीजेंसी से भुगतान पर सहमति प्रदान किया गया।

बिन्दु सं0–7

क्वालिटी मैनेजमेण्ट प्रोग्राम में वर्ष 2018–19, 2019–20 एवं 2020–21 में श्री पी. के. सेठी, मिस. अल्पिका शुक्ला एवं श्री किशोर कुमार गौतम (Subject Experts) द्वारा लिए लिए गये लेक्चर बीजक भुगतान से सम्बन्धित प्रस्ताव को कालातीत होने के कारण मान्य नहीं पाया गया।

बिन्दु सं0–8

लखनऊ विश्वविद्यालय में संचालित स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम भूगोल को नियमित किये जाने से सम्बन्धित शासन के पत्र रा0पा030/सत्तर–1–2023 दिनांक 19 अक्टूबर, 2023 के प्रस्ताव पर समिति द्वारा चर्चा किया गया। समिति ने उक्त प्रस्ताव पर अपनी सहमति दी।

22/12/23

बिन्दु सं0–9

डा0 एम. सिराजुद्दीन प्रो0 जन्तु विज्ञान विभाग द्वारा पर्यावरण वन एवं जनवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या 25/28/2017–CPCSEA के द्वारा वाह्य सदस्यों को सीटिंग फीस रू0 2000/– से बढ़ाकर रू0 5000/– किये जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव पर विचार–विमर्श हेतु रखा गया। समिति के द्वारा प्रस्ताव पर विचारोपरान्त सीटिंग फीस रू0 2000 से बढ़ाकर रू0 3000 किये जाने पर अपनी सहमति व्यक्त की।

बिन्दु सं0–10

प्रो0 अमृतांशु शुक्ल, निदेशक इन्क्यूबेशन सेल लखनऊ विश्वविद्यालय में नवांकुर फाउन्डेशन के अन्तर्गत इन्क्यूबेशन सेल में संविदा पर 01 इन्क्यूबेशन मैनेजर, 01 आफिस असि0 तथा 01 हेल्पर नियोजित किये जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव समिति के समक्ष विचार–विमर्श हेतु रखा गया। समिति के द्वारा प्रस्ताव पर विचारोपरान्त सहमति व्यक्त किया गया।

बिन्दु सं0–11

दिनांक 26 अक्टूबर, 2023 एवं 21 दिसम्बर 23 को सम्पन्न हुई भवन एवं कार्य समिति की बैठक की कार्यवृत्त, पर अनुमोदन प्रदान किये जाने विषयक प्रस्ताव वित्त समिति के समक्ष रखा गया। समिति द्वारा कार्यवृत्त पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं0–12

लखनऊ विश्वविद्यालय के मुख्य एवं द्वितीय परिसर के सभागार आवंटन के नियम शुल्क निर्धारित किये जाने के प्रयोजनार्थ गठित समिति की बैठक दिनांक 08.02.2023 के कार्यवृत्त पर अनुमोदन प्रदान किये जाने विषयक।

सभागार/स्थल के लिए दरों का निर्धारणः–

क्रम सं0	सभागार/स्थल	लखनऊविश्वविद्यालय के शिक्षकों/कर्मचारियों/छात्रों हेतु निर्धारित शुल्क (रू0 प्रतिदिन)	वाह्य व्यक्तियों/संस्थानों के लिए निर्धारित शुल्क (रू0 प्रतिदिन)
1	मालवीय सभागार	10,000/–	40,000/–
2	ए. पी. सेन सभागार	7,500/–	30,000/–
3	विश्वकर्मा सभागार (द्वितीय परिसर)	7,500/–	30,000/–
4	उमा हरिकृष्ण अवस्थी सभागार	6,000/–	20,000/–
5	राधा कमल मुखर्जी सभागार	7,500/–	30,000/–
6	चाणक्य सभागार, व्यापार प्रशासन विभाग	7,500/–	30,000/–
7	डी. पी. ए. सभागार, लोक प्रशासन विभाग	5,000/–	20,000/–
8	प्रो0 एस. बी. सिंह सभागार, वाणिज्य विभाग	2,000/–	3,000/–
9	शिक्षा संकाय सभागार	3,000/–	5,000/–
10	कल्याण मण्डप	15,000/–	30,000/–

वित्त समिति के समक्ष सभागार/स्थल से सम्बन्धित शुल्क निर्धारित किये जाने हेतु प्रस्ताव रखा गया । समिति द्वारा विचारोपरान्त संस्तुति प्रदान किया गया।

बिन्दु सं0–13

निर्माण विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय को आवंटित कान्टीजेन्सी मद में रू0 10.00 लाख की धनराशि को बढ़ाकर रू0 20.00 लाख किये जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव समिति के समक्ष विचार–विमर्श हेतु रखा गया। समिति द्वारा चर्चा किया गया तथा समिति ने कन्टीजेंसी मद में रू0 10.00 लाख से बढ़ाकर 15.00 लाख किये जाने पर सहमति व्यक्त किया गया एवं शेष के लिए अगली वित्त समिति में प्रस्ताव रखे जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया।

बिन्दु सं0–14

निर्माण विभाग/कुलपति कार्यालय हेतु फोटोग्राफर, ग्राफिक्स डिजाईनर एवं आई0टी0 सिस्टम आपरेटर आदि हेतु मानक के अनुसार दक्ष कार्मिकों जिनकी संख्या अधिकतम 03(तीन) को आउट सोर्सिंग के माध्यम से योजित किये जाने हेतु राज्य सरकार के तृतीय श्रेणी के कार्मिकों के लिये निर्धारित वेतनमान के वेतन+डी0ए0 के योग जो कि 34,602/– होता है से कम होने के कारण केन्द्र सरकार राजाज्ञा नं0 एस.ओ. 188 (ई) दिनांक 19.01.2017 के क्रम में भारत सरकार के श्रम एवं नियोजन मंत्रालय के फाइल नं0 1/16(3)2022–एल.एस.–11 के अनुसार जो कि उक्त के सापेक्ष कम स्तर पर है यथा रू0 940/– दैनिक अधिकतम रू0 25000/–है। अतः समिति द्वारा उक्तानुसार कार्मिकों को योजित किये जाने पर सहमति व्यक्त किया गया।

उक्त सेवा हेतु किया जाने वाला भुगतान नवीनतम शासनादेश के आधार पर out sourcing Agency द्वारा देय होगा।

बिन्दु सं0–15

योग एवं वैकल्पिक चिकित्सा संकाय में प्रतिदिन योगाभ्यास सत्र/कक्षा के संचालन का निर्णय लिया गया है जिसमें एम.ए./एम.एस.सी. (योग)पी.जी. डिप्लोमा (योग)बी.ए.बी.एस.सी. (योग) तथा कुरिकुलर के छात्र/छात्राओं को पाठ्यक्रम के अतिरिक्त प्रतिदिन योगाभ्यास सत्र/कक्षा का एक घण्ट का आयोजन किया जाएगा। जिसे फैकल्टी के विषय विशेषज्ञों एवं योग प्रशिक्षकों द्वारा गतिमान किया जाएगा। परास्नातक के विद्यार्थियों के योगाभ्यास के लिए रू0 800/– सत्र में संचालित प्रति कक्षा तथा पी.जी.डिप्लोमा (योग) के योगाभ्यास सत्र/कक्षा के लिए रू0 800/– बी.ए./बी.एस.सी. (योग) के योगाभ्यास सत्र/कक्षा के लिए रू0 600/– की दर से सत्र में संचालित प्रति कक्षा की दर से भुगतान किया जाएगा से सम्बन्धित प्रस्ताव पर योग विभाग, योग एवं वैकल्पिक चिकित्सा संकाय के अध्ययन मण्डल की बैठक दिनांक 04.10. 2023 को लिए गये निर्णय को वित्त समिति के समक्ष अनुमोनार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति ने विचारोपरान्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं0–16

लखनऊ विश्वविद्यालय में रोवर्स/रेजर्स हेतु समन्वयक नामित करने एवं अध्ययनरत रोवर रेजर्स से प्रति सेमेस्टर रू0 25/– परीक्षा फार्म के साथ जमा कराए जाने से सम्बन्धित कार्यवृत्त पर अनुमोदन प्रदान किये जाने पर विचार–विमर्श हेतु समिति के समक्ष प्रस्ताव रखा गया। समिति द्वारा विचारोपरान्त प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त किया गया।

(2)

22/12/23

बिन्दु सं0–17

ओरियंटल स्ट्डीज विभाग के कोर्स फीस स्ट्रक्चर के अनुसार आलिम एवं दबीर–ए–माहिर कोर्स की फीस विदेशी छात्र/छात्राओं से लिए जा रहे 600 यू.एस.डालर के समतुल्य ही कोर्स फीस लिए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार–विमर्श पर समिति द्वारा चर्चा किया गया। समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव की संस्तुतियों पर सहमत व्यक्त किया गया।

बिन्दु सं0–18

विभागाध्यक्ष, भूगर्भ विज्ञान विभाग के प्रस्ताव जोकि भूभर्ग विज्ञान विभाग के अन्तर्गत अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं से लिए जाने वाली Additional fees के स्थान पर Geology Cum Excursion fee लिए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार–विमर्श हेतु प्रस्ताव रखा गया। समिति द्वारा विचारोपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं0–19

प्रो0 डी. आर. साहू, अवैतनिक पुस्तकालयाध्यक्ष द्वारा टैगोर पुस्तकालय हेतु आवंटित कन्टीन्जेन्सी रू0 5.00 लाख को रू0 7.50 लाख किये जाने से सम्बन्धित प्रेषित प्रस्ताव पर विचार–विमर्श हेतु रखा गया। समिति द्वारा विचारोपरान्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

अन्य बिन्दु मा0 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।

अन्य बिन्दु

बिन्दु सं0–1

प्रो0 विनीता काचर, विषेषकार्याधिकारी, प्रबन्धन विज्ञान संस्थान, लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा संस्थान में संविदा पर कार्यरत शिक्षकों को इंजीनियरिंग संकाय की भॉति वेतन वृद्धि दिये जाने से सम्बन्धित मॉग पर विचार–विमर्श हेतु रखा गया। विचारोपरान्त समिति ने विस्तृत परीक्षणोपरान्त संगत नियम के साथ अगली बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया।

बिन्दु सं0–2

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–2 सं0 119/2018/2842/71–2–2018–33/2018, दिनॉक 20 सितम्बर, 2018 द्वारा सेवानिवृत्त प्रोफेसर को संविदा के आधार पर प्रोफेसर कन्सलटेंट के रूप में पुनर्नियोजित किये जाने के सम्बन्ध में है, जिसके क्रम सं0–2 में "संविदा के आधार पर पुनर्नियोजित प्रोफेसर (कन्सलटेंट) को एकमुश्त रू0 2,20,000/– का मासिक पारिश्रमिक प्रदान किया जाएगा। उक्तानुसार डॉ0 बी0बी0 मिश्रा द्वारा अन्तिम वेतन भुगतान माईनेंस पेंशन भुगतान पर एक मुश्त मासिक पारिश्रमिक प्राप्त करने का अनुरोध किया गया है। अन्तिम वेतन रू0 1,49,015/– प्राप्त कर रहे थे एवं रू0 25955/– पेंशन आहरित कर रहे थे अन्तिम वेतन भुगतान रू0 1,49,015/– माईनेंस पेंशन भुगतान रू0 25955 एक मुश्त मासिक पारिश्रमिक रू0 1,23,060 करने हेतु प्रस्ताव विचार–विमर्श"। समिति द्वारा विचारोपरान्त मत स्थिर किया गया कि संदर्भगत विषय पर विश्वविद्यालय स्तर से समिति गठित कराकर विस्तृत परीक्षणोपरान्त अगली बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये।

(हिमानी चौधरी)
वित्त अधिकारी

(डा॰ विनोद कुमार सिंह)
कुलसचिव

(विद्यानन्द त्रिपाठी)
परीक्षा नियंत्रक

(एस. पी. मिश्रा)
उप–सचिव उच्च शिक्षा,
प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव, उ0शि0
उ0प्र0 शासन।

(अंजू सिंह संत)
अपर निदेशक, पेंशन एवं कोषागार,
प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव (वित्त),
उ0प्र0 शासन।

22/12/23

(प्रो0 अरविन्द अवस्थी)
प्रति–कुलपति

(प्रो0 आलोक कुमार राय)
कुलपति